The Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act 1958

प्राचीन स्मारक और ध्वंसावशेष अधिनियम (*Ancient Monuments and Remains Act—1959 A.D.*)—बदली हुई राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण पुरानी कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध होने लगी अतएव सन् 1958 में "प्राचीन स्मारक और ध्वंसावशेष अधिनियम" नाम से एक अपेक्षाकृत व्यापक कानून संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य स्मारकों की सुरक्षा एवं सुन्दरता की रक्षा करना है। यह अधिनियम उन सभी स्मारकों एवं पुरास्थलों पर लागू होता है जिन्हें सन् 1951 में राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया जा चुका है। यह अधिनियम 15 अक्टूबर सन् 1959 से देश भर में लागू किया गया। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि केन्द्रीय शासन आवश्यकतानुसार अन्य स्मारकों एवं पुरास्थलों को भी केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर सकता है। इस अधिनियम में अधोलिखित उपनियमों की व्यवस्था है—

1. राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित स्मारकों में जनता के निर्बाध रूप से प्रवेश की व्यवस्था—राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक घोषित हो जाने के बाद भी उनमें जनता के निर्बाध प्रवेश की व्यवस्था है। लेकिन कतिपय स्मारक इसके अपवाद हैं जिनमें नाम मात्र का प्रवेश शुल्क लिया जाता है किन्तु 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसे स्मारकों में भी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। रक्षित स्मारकों के अन्दर किसी प्रकार की सभा, बैठक सार्वजनिक समारोह करने की अनुमति नहीं है किन्तु यदि किसी स्मारक का उपयोग धार्मिक पूजा के लिए होता रहा हो तो रक्षित स्मारक घोषित होने के बाद भी इसकी छूट रहेगी, लेकिन वह बैठक धार्मिक ही होना चाहिए। रक्षित स्मारक में विज्ञापन एवं किसी माल की बिक्री तथा प्रचार करने पर भी रोक है। बिना लाइसेन्स प्राप्त किए हुए इन स्मारकों में गाइड के रूप में कार्य करने पर भी पाबन्दी है।

2. रक्षित स्मारक किसी की निजी सम्पत्ति होने पर उसके स्वामी के साथ केन्द्रीय सरकार को समझौता करने एवं क्रय करने तथा अधिग्रहण का अधिकार है—अगर केन्द्रीय शासन यह अनुभव करता है कि रक्षित स्मारक किसी की निजी सम्पत्ति है तो केन्द्रीय शासन उस स्मारक के रख-रखाव एवं मरम्मत आदि के संबंध में संबंधित व्यक्ति से लिखित समझौता कर सकता है लेकिन यदि उसका मालिक समझौता करने से इंकार करता है अथवा समझौते की शर्तों के पालन करने में आना कानी करता है तो ऐसी स्थिति में शासन मरम्मत आदि के अधिकार स्वयं ग्रहण कर सकता है जिससे कि स्मारक की रक्षा हो सके। मालिक के व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित भी कर सकता है। अगर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि स्मारक का मालिक कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे स्मारक की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा अथवा स्मारक के आस-पास या उसके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करता है तो इन परिस्थितियों में महानिदेशक उस व्यक्ति को ऐसा न करने का आदेश जारी कर सकते हैं।

3. रक्षित स्मारकों के आस-पास के क्षेत्र को निषिद्ध अथवा नियमित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार—अगर केन्द्रीय शासन यह अनुभव करता है कि रक्षित स्मारक के पास खदान की खुदायी अथवा किसी इमारत के निर्माण कार्य पर रोक लगाना आवश्यक है तो रोक लगाई जा सकती है। रक्षित स्मारक के आस-पास के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करके इस प्रकार की रोक लगाने की व्यवस्था है। निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में खदान की खुदायी अथवा भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियमित क्षेत्र में लाइसेन्स जारी करके स्पष्ट प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दी जा सकती है। अवैध निर्माण को शासन हटवा

सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तथा दण्ड की व्यवस्था है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन माह की सजा या पाँच हजार जुर्माना अथवा सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

4. संरक्षित पुरास्थल पर निर्माण कार्य अथवा उत्खनन हेतु भारत सरकार की अनुमति की अनिवार्यता—सन् 1958 के इस अधिनियम के अनुसार किसी संरक्षित पुरास्थल (Protected site) का उत्खनन और उसमें से खनिजों की खुदायी खदान लगाने आदि की किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है लेकिन सामान्य कृषि-कार्य किया जा सकता है। किसी भी रक्षित पुरास्थल के ऊपर कोई भवन आदि भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता है। अगर बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य होगा या होता है तो निर्माणकर्त्ता व्यक्ति के ही खर्च पर उसको हटवाया जा सकता है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक से लाइसेन्स प्राप्त किए बिना भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के सक्षम अधिकारियों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था रक्षित पुरास्थल का उत्खनन नहीं करा सकती है। रक्षित तथा अरक्षित किसी भी पुरास्थल पर उत्खनन के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग से लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी अरक्षित पुरास्थलों का भी उत्खनन करा सकते हैं।

5. केन्द्रीय शासन की सर्वोच्चता—केन्द्रीय शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रदेश सरकार न तो उत्खनन करा सकती है और न ही किसी व्यक्ति तथा संस्था को उत्खनन कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस अधिनियम के अनुरूप प्रान्तीय सरकारें भी कानून बना सकती हैं और राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले स्मारकों एवं पुरास्थलों को रक्षित घोषित कर सकती है। कई प्रान्तीय सरकारों ने इस प्रकार के कानून भी बनाए हैं कि यदि किसी रक्षित अथवा अरक्षित पुरास्थल का मालिक कोई व्यक्ति है तो केन्द्रीय शासन उस व्यक्ति से उत्खनित पुरावशेष क्रय भी कर सकता है।

6. तात्कालिक कार्यरूप में लाए गए अधिनियम—इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो कानून लागू होने की तिथि से ही कार्य रूप में लाए गए। वे इस प्रकार हैं—

प्रवेश शुल्क संबंधी नियम—कुछ प्रमुख पुरास्थलों के अतिरिक्त अन्यत्र प्रवेश निःशुल्क रहेगा और जहाँ शुल्क लगाया भी जाएगा वहाँ भी 15 वर्ष से कम उम्र के बालक इस शुल्क से मुक्त होंगे।

धार्मिक कृत्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर निषेध—स्मारक स्थलों में केवल मान्यता प्राप्त धार्मिक स्वरूप के कार्यों को छोड़कर कोई भी मीटिंग, सम्मेलन, पार्टियाँ आदि का आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।

विज्ञापन कार्य लाइसेन्स द्वारा—इन स्थानों में लाइसेन्स प्राप्त किए बिना सामानों के विज्ञापन, विक्रय, प्रचार या गाइड के कार्य निषिद्ध माने जाएगे।

दर्शनार्थियों को ध्यान में रखकर चित्रांकन एवं रेखांकन—सामान्यतया प्राचीन स्मारकों का रेखांकन या चित्रांकन का निषेध नहीं होगा किन्तु कैमरा, स्टैण्ड या इस प्रकार की कोई भी वस्तुओं के उपयोग का जिससे अन्य दर्शनार्थियों को असुविधा हो, निषेध रहेगा।

फिल्म निर्माण हेतु लाइसेन्स की अनिवार्यता—इन स्थानों पर फिल्म निर्माण हेतु लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अनधिकृत निर्माण कार्यों पर रोक—यदि सरकार को यह आभास होगा कि संरक्षित स्मारक के निकट खनन कार्य अथवा भवन निर्माण कार्य का नियमन किया जाना आवश्यक है तो वह स्मारक के आसपास के कुछ भाग को इन कार्यों के नियमन के लिए स्वतंत्र होगी तथा निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन या निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा और नियमनाधीन क्षेत्र में ये कार्य लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद ही किए जा सकते हैं। अनधिकृत प्रकार से निर्मित निर्माण को गिरा देने का अधिकार अन्तिम रूप से केन्द्रीय सरकार के पास ही रहेगा।

दण्ड विधान में संशोधन—यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्मारक के साथ उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार जैसे—तोड़-फोड़, नामकरण, वास्तविक स्वरूप में बदलाव आदि करता है तो उसकी सजा को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा तथा 5000 रु० जुर्माना अतिरिक्त देय होगा। ये सजाएँ दोनों साथ-साथ भी लागू हो सकती हैं।

इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के प्रावधान अत्यन्त विस्तृत हैं। देश की पुरातात्त्विक सम्पदा की सुन्दरता एवं उसकी रक्षा के लिए यह अधिनियम अत्यन्त उपयोगी है।